

प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
राणीदान रावल आर.टी.आई कार्यकर्ता रेबारीयो का टांका वार्ड संख्या 20 बालोतरा		राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बागोडा
प्रकरण अपील		26/2019
कम्प्यूटर आई.डी		2019/00078

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

28.08.2019	<p>अपीलांट ने यह अपील रेस्पोंडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 18.09.2019 को जवाब/बहस हेतु पेश हो।</p>
18.09.2019	<p align="center">प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर</p> <p>अपीलांट उपस्थित। सहायक लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित। सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)बागोडा का जवाब प्राप्त दिनांक 17.09.2019 एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया।</p> <p>सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)बागोडा द्वारा जवाब में व्यक्त किया गया है कि प्रार्थी राणीदान रावल द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में बिन्दु संख्या 01 की सूचना हेतु कार्यालय हाजा के पत्रांक/विविध/2019/124 दिनांक 06.08.2019 को श्रीमान जी से मार्गदर्शन हेतु निवेदन किया था।इस संबंध में प्रार्थी को भी कार्यालय हाजा के पत्रांक/विविध/2019/129 दिनांक 09.8.2019 को डाक से (स्पीड पोस्ट नंबर R.R.929917270IN) से अवगत करवाया गया था, जो की भारतीय डाक की वेबसाइट के अनुसार दिनांक 14.08.2019 को प्रार्थी ने प्राप्त कर लिया रिपोर्ट संलग्न है।प्रार्थी को बताया गया था कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जालोर से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी।कृपया मार्गदर्शन प्रदान करने का श्रम करावे।ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।इस जवाब की प्रतिलिपि अपीलांट को भी भिजवाई गई है।</p> <p>अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया गया है कि रावल ब्राहमण नहीं है बल्कि अनुसूचित जाति के सूची क्रमांक-50 पर दर्ज रावल जाति ही है।अतःविनम्र निवेदन है कि आप निर्धारित समय सीमा में मुझे सूचना उपलब्ध करावे।इसके समर्थन में प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजो की छायाप्रतियो पेश है।</p> <p>अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रार्थना पत्र एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बागोडा द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया गया। इसके अनुसार अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2019 लोक सूचना अधिकारी बागोडा को प्रस्तुत कर आर.टी.आई.एक्ट 2005 के तहत सूचना चाही गई कि जालोर जिले के बागोडा तहसील के तहत गाँव कालेटी के खसरा संख्या 144, 211, 221, 682 तथा गाँव नादिया के खसरा संख्या 1003 तथा गाँव गुजरवाडा के खसरा संख्या 68/164 तथा गाँव मिण्डावास के खसरा संख्या 451, 567, 568, 614, 615 के खातेदार रावल जाति के है।अतःउक्त सभी खातेदारो की खातेदारी भूमि के आधार पर जाति की श्रेणी का उल्लेख करते हुए प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।उक्त सूचना के संबंध में तहसीलदार बागोडा द्वारा</p>

पत्रांक/विविध/2019/128 दिनांक 09.08.2019 के जरिये सूचित किया गया। अपीलांत द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नहीं होने का कथन करते हुए यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील का जबाव तहसीलदार बागोडा द्वारा पत्र क्रमांक/विविध/2019/155 दिनांक 12.09.2019 प्रस्तुत करते हुये प्रतिलिपि अपीलांत को भी भिजवाई गई है। इस अपील में अपीलांत द्वारा आज एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें रावल जाति को अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक-50 पर दर्ज होना बताया है। जहां तक अपीलांत को सूचना उपलब्ध करवाने का प्रश्न है तो लोक सूचना अधिकारी के पास जो भी सूचना/अभिलेख उपलब्ध होता है। उससे संबंधित ही सूचना आवेदक को उपलब्ध करवाई जा सकती है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बागोडा को दिनांक 12.07.2019 का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बिन्दु संख्या 01 में वर्णित सूचना राजस्व अभिलेख यथा जमाबंदी से संबंधित है जिसमें श्रेणी का अंकन नहीं होकर जाति का इन्द्राज अवश्य रहता है।

अतः अपीलांत को अपील आंशिक स्वीकार कर रेस्पोंडेन्ट तहसीलदार बागोडा को निर्देशित किया जाता है कि आवेदित सूचना के बिन्दु संख्या 01 से संबंधित रिकॉर्ड जिसरूप में उपलब्ध है उसी अनुसार अपीलांत को 15 दिवस की अवधि में वांछित सूचना/प्रत्युत्तर निःशुल्क उपलब्ध करावे।

रेस्पोंडेन्ट को यह निर्देश भी दिये जाते हैं कि भविष्य में इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का परिक्षण कर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुरूप निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जावे ताकि उक्त अधिनियम के तहत आवेदक को समय पर सूचना मिल सके।

Sdr

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर

